

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी रामकिशोर मीना

अपील संख्या 31/25

तारीख रज्जू- 20/09/24

1. मजहर पुत्र सरफूददीन जाति मुसलमान निवासी टाउन पुलिस चौकी के पास गंगापुर सिटी।
-अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी ।

-रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 23.07.2025

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा मिसल संख्या 22/2024 में पारित निर्णय दिनांक 30.05.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम हिगोंटिया के आराजी खं0नं0 442 में कुल रकबा 0.10 है0 किस्म गै0मु0नाला पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से तथा सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के गलत एवं निराधार रिपोर्ट पर विश्वास कर बिना नाप कराये आदेश पारित करने में कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है। अपीलार्थी द्वारा नोटिस का जबाब सही प्रस्तुत किया है। इसके पश्चात् भी बिना पटवारी के बयान लिये एवं अपीलार्थी को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर निर्णय दिनांक 30.05.2024 पारित करने में कानूनी भूल की है। विधी का सूस्थापित सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसकी अनुपस्थिती में पारित नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी का नोटिस में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 442 किस्म गै0मु0नाला पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है ना ही कोई निर्माण है। अदालत मातहत ने अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित ना होते हुये भी अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने में कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कतई गौर नहीं फरमाया कि पत्रावली में पश्चातवर्ती अतिक्रमी से संबंधित कोई दस्तावेज पत्रावली में संलग्न नहीं है। ना ही हल्का पटवारी की दैनिक डायरी कोई प्रति ही पत्रावली के साथ पेश की गई है। उसके बावजूद भी अदालत मातहत ने अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने में कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने कानूनी प्रावधानों की पूरी तरह से अवहेलना की है तथा मात्र हल्का पटवारी के बयानों के आधार पर ही अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने में कानूनी भूल की है, साथ ही पटवारी हल्का की नवीन रिपोर्ट दिनांक 04.12.2024 में अंकित किया है कि उक्त वाद आराजीयात पर वर्तमान में कोई नवीन निर्माण नहीं है। पूर्व में हो रहे निर्माण को मौके पर ही रुकवा दिया गया था जो आदिनांक तक निर्माण का त्यों है। अपीलार्थी पक्ष ने अपने साक्ष्य के रूप में एक शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत

किया है कि वह उक्त वाद आराजीयात पर मेरा कभी कोई कब्जा काशत नहीं रहा है, न ही आज मेरा कोई कब्जा है, साथ ही वकील अपीलार्थी ने अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमण आराजी पर अपीलार्थी का अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। परोकार सरकार ने दौरान बहस यह भी निवेदन किया है कि साथ ही परोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

दोनों पक्षों की बहस सुनने, उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया। जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतीचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट एवं बयान में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया हुआ है। पटवारी हल्का की नवीन रिपोर्ट दिनांक 04.12.2024 में अंकित किया है कि उक्त वाद आराजीयात पर वर्तमान में कोई नवीन निर्माण नहीं है। पूर्व में हो रहे निर्माण को मौके पर ही रूकवा दिया गया था जो आदिनांक तक ज्यों का त्यों है। अपीलार्थी पक्ष ने अपने साक्ष्य के रूप में एक शपथ पत्र इस आशय का भी प्रस्तुत किया है कि वह उक्त वाद आराजीयात पर मेरा कभी कोई कब्जा काशत नहीं रहा है, न ही आज मेरा कोई कब्जा है।

अतः उपरोक्त विवचेना के आधार पर अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय में अपीलान्त को दी गई सिविल कारावास की सजा की हद तक निरस्त किया जाता है तथा शेष आदेश शास्ति, वेदखली व फसल निलामी को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23/07/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(समीक्षोर मीना)
अति० जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी